-1-

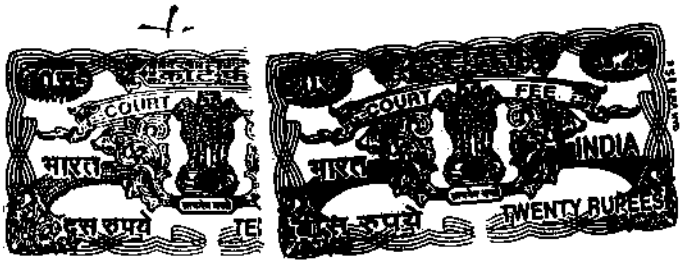

75

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

नि/ग-2593-I-16

1. जगदीशसिंह तनय कमलसिंह
2. करनसिंह तनय कमलसिंह
3. महेन्द्रसिंह तनय कमलसिंह
4. जितेन्द्रसिंह तनय कमलसिंह
5. पुष्पराज सिंह तनय कमलसिंह
   निवासी अस्पाताल के सामने बेनीगंज
   छतरपुर जिला छतरपुर
6. श्रीमति शीलासिंह पत्नि भगवानसिंह
   पुत्री स्व. कमलसिंह, निवासी रेल्वे
   कालोनी महोबा जिला महोबा
7. श्रीमति संगीता सिंह पत्नि ज्ञानसिंह
   पुत्री स्व. कमलसिंह, निवासी चर्च रोड
   महोबा नाका गली नंबर 3, छतरपुर ....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

1. म.प्र.शासन
2. वनमंडलाधिकारी छतरपुर
3. अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर सागर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 183/बी–121//2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18/02/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेन्ज कालोनी के पास स्थित दो गैरिज कम्पाउन्ड नामक भवन आवेदकगण के दादा रतन को तत्कालीन महाराजा द्वारा

(जितेन्द्र सिंह एड० 94251-71223)

XXXIX(a) BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2593/F/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-8-16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 183/बी–121/वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 18/2/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदकगण के तर्क में कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के पिता कमलसिंह को तत्कालीन महाराजा भवानीसिंह द्वारा बक्शीशनामा दिनांक 12/7/1946 निष्पादित कर दी गयी थी तब से आवेदकगण के पिता व आवेदकगण उक्त भूमि पर निवासरत् है। अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा बिना किसी आधार के आवेदकगण के पिता को उक्त भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश किया गया जिसकी अपील आवेदकगण के पिता द्वारा कमिश्नर सागर के समक्ष की गयी जिसे कमिश्नर सागर द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसमें आदेश दिनांक 19/3/15 के द्वारा प्रकरण कमिश्नर सागर को प्रत्यावर्तित किया गया जिसे कमिश्नर सागर द्वारा पुनः सुनवाई कर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रत्यावर्तित किया गया जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा किए गए बेदखली आदेश का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिस कारण से आवेदकगण के विरूद्व बिना किसी अभिलेख के बेदखली का आदेश किया गया है जो कि अवैधानिक है। उनका तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि नहीं है जिस कारण से जिस अधिनियम के अंतर्गत आवेदकगण के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है वह इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि पूर्व में वनमंडल अधिकारी द्वारा वन भूमि मान्य कर आवेदकगण के पिता को आवंटन किए जाने का आदेश दिनांक 3/8/1978 को किया गया था जिसे वन	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	संरक्षक रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 12/10/1978 के माध्यम से निरस्त किया जा चुका है जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि नहीं है तथा इस संबंध में इंवेन्टरी के क्र 11 में भी उक्त भूमि भवानीसिंह की निजी भूमि के रूप में अंकित है। उपरोक्त आधारों पर उनके द्वारा यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 4— उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा आवेदकगण के पिता को बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया था जिसको कमिश्नर द्वारा यथावत् रखा गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र 11654/08 आदेश दिनांक 19/3/15 द्वारा निरस्त कर प्रत्यावर्तित किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश मे कमिश्नर सागर के आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए है जिसके आधार पर यह प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राहय किया गया है। कमिश्नर सागर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विचारण न्यायालय से अभिलेख तलब किये जाने पर अभिलेख उपलब्ध ना होना पाया गया था ऐसी स्थिति में जब विचारण न्यायालय का अभिलेख ही उपलब्ध नहीं है कमिश्नर सागर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का आदेश विधिसम्मत् रूप से निरस्त किया गया परंतु अभिलेख उपलब्ध ना होने पर भी विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाना विधिक प्रावधान अनुसार उचित नहीं है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त मैं कमिश्नर सागर एंव अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कमिश्नर सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 18/2/16 एंव अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का आदेश दिनांक 10/02/2000 निरस्त किए जाते है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	